दिनांक 06.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गुडम्बा</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.01.2025 को थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सीवा रोड से 04 अभियुक्तों 1–चॉद बाबू उर्फ चन्दू 2–नुरूल 3–फाजीद 4–समीर को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना गुडम्बा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–चॉद बाबू उर्फ चन्दू निवासी पैकरामऊ थाना गुड़म्बा, लखनऊ।

2–नुरूल निवासी पैकरामऊ थाना गुड़म्बा, लखनऊ।

3–फाजीद निवासी भाखामऊ थाना गुड़म्बा, लखनऊ।

4–समीर निवासी अचरामऊ थाना गुड़म्बा, लखनऊ।

बरामदगी

1–लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बागपत/थाना खेकड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 79 मोबाइल फोन, 03 लैपटॉप, 02 लैपटॉप चार्जर, 01 मोबाइल किट आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.01.2025 को थाना खेकड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मुबारिकपुर पुलिया जंगल के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–नईम 2–फुरकान 3–मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 79 मोबाइल फोन, 03 लैपटॉप, 02 लैपटॉप चार्जर, 01 मोबाइल किट आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नईम के विरूद्ध जनपद बागपत व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त फुरकान व मनोज कुमार के विरूद्ध जनपद बागपत, दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05–05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नईम निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2—फुरकान निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3—मनोज कुमार निवासी दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत, हालपता झोरीपुर थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट/चोरी के 79 मोबाइल फोन, 03 लैपटॉप, 02 लैपटॉप चार्जर, 01 मोबाइल किट आदि।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

3—02 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद सीतापुर/थाना मछरेहटा</u>

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 06.01.2025 को थाना मछरेहटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आदिलपुर चौराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बबलू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मछरेहटा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ व जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मछरेहटा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— बबलू निवासी ग्राम केसरा थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 ईको वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 05.01.2025 को थाना शिकोहाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान शिकोहाबाद से मैनपुरी रोड पर कंथरी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शकील 2–फहीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 ईको वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त फहीम के विरूद्ध जनपद बदायूं, अलीगढ़, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शकील निवासी नूरी मस्जिद गली नं0–02 कश्मीरी गेट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

2–फहीम निवासी बरी का नगला साठ फुटा रोड थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 01 ईको वाहन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना थानगॉव

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 05.01.2025 को थाना थानगॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार लोनियनपुरवां गॉव के पास से अभियुक्त रामविजय को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना थानगॉव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना थानगॉव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर, संतकबीर नगर, बाराबंकी के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना थानगॉव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामविजय निवासी लोनियनपुरवा थाना थानगॉव जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

जनपद मीरजापुर/थाना अदलहाट

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 55 लाख रूपये (कीमत) के 115 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त टाटा मैजिक वाहन बरामद**

दिनॉकः 05.01.2025 को थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कौडियाकला आरके रोड से 02 अभियुक्तों 1– सोनू कुमार 2– मनीष को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 55 लाख रूपये (कीमत) के 115 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त टाटा मैजिक वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अदलहाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू कुमार निवासी शान्तिनगर मौलाबाद थाना टाउन जनपद भोजपुर, बिहार।

2–मनीष निवासी निरीया थाना करछना, प्रयागराज।

बरामदगी

1–लगभग 55 लाख रूपये (कीमत) के 115 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त टाटा मैजिक वाहन।

जनपद इटावा/थाना जसवन्त नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये (कीमत) के 54 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **55 खाली केट**
- **घटना में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक बरामद**

दिनॉक: 05/06.01.2025 की रात्रि थाना जसवन्त नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फुलरई गांव गेट के पास से 03 अभियुक्तों 1–जाहिद अली 2–अविनाश प्रताप 3–जितेन्द्र उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये (कीमत) के 54 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 55 खाली केट, घटना में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जसवन्त नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जाहिद अली निवासी उदयीपुर थाना असपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

2–अविनाश प्रताप निवासी बागवाला थाना बागवाला जनपद एटा।

3–जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासी गांव नगला पोता थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये (कीमत) के 54 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–55 खाली क्रेट।

3–घटना में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक।

- **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 10 करोड़ 70 लाख 29 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त 1–देवशंकर पुत्र पारसनाथ नि0 खरसतिया थाना हैदरगढ़ 2–मेराज पुत्र जाबिर नि0ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर 3–विक्की मिश्र उर्फ प्रशान्त कुमार पुत्र हरिशंकर मिश्र नि0 नरौली थाना हैदरगढ़ 4–पंकज कुमार पुत्र विजय बहादुर नि0 महरूपुर थाना कोठी 5–विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 रामआधार यादव नि0 भुहेरा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 10 करोड़ 70 लाख 29 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद उन्नाव/थाना असोहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 53–53 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना औरास पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 सपठित धारा 149/147/342 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अनन्तपाल 2–सोनेलाल 3–रामकेशव 4–गंगाप्रसाद 5–हरिप्रसाद को आजीवन कारावास व 53–53 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना असोहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना असोहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/302 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हनुमान को आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————